दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.11.2024 को वादी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत गुरमीत पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम जन्धेडासमसपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के दुष्कर्म करने से सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-434/24 धारा 351(3)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर महोदय एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 14.11.024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित **अभियुक्त गुरमीत पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम जन्धेडासमसपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0सं0-434/24 धारा 351(3)/64(1) बीएनएस व 3/4 पोक्सो अधि0 को मनानी कट हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुरमीत पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम जन्धेडासमसपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
2. उ0 नि0 श्री विनोद कुमार थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
3. का0 2266 अंकित कुमार थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।

दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 05 वर्षीय गुमशुदा बच्ची को मात्र 2 घण्टो में बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदापरिवार से बिछड़े बच्चों को उनके /लावारिस/ परिजनों से मिलाने हेतु चलाये जा रहे के अभियान"आपरेशन मुस्कान" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर की महिला एंटीरोमियों पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.11.2024 को 05 वर्षीय बच्ची जो पुल खुमरान पर खड़ी रो रही थी बच्ची से पूछताछ की तो उसने अपना नाम फरीना, पिता का नाम मौज अली माता का नाम रुकसार, भाई का नाम शोएब तथा खाता खेडी थाना मंडी की रहने वाली बताया। परिजनो की तलाश हेतु थाना को0 नगर पुलिस टीम बच्ची को साथ लेकर उसके बताये गये स्थान पर गये तो उपरोक्त बच्ची के घर पर कोई परिवार का सदस्य नही मिला तो पडौस के लोगो को बताकर बच्ची को वापस थाना लाये तो कुछ समय बाद इसके परिजन थाने आये तो बच्ची को सकुशल इसके माता व मौसा के सुपुर्द किया गया। बच्ची को पाकर परिजनों द्वारा पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री मान सिंह थाना को0 नगर,सहारनपुर
2. है0कां0 380 आजाद सिंह थाना को0 नगर,सहारनपुर
3. म0कां0 828 पूजा निश्चल थाना को0 नगर,सहारनपुर

दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त इमरान पुत्र अब्दुल हमीद नि0 नूर बस्ती थाना को0नगर जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद स0 3267/24 मु0अ0सं0 271/91 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

इमरान पुत्र अब्दुल हमीद नि0 नूर बस्ती थाना को0नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. का0 2447 राघव सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. हो0गा0 1432 राजकुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **रणजीत सिंह पुत्र कशमीर सिंह निवासी 6367 गली 12 रविदास मन्दिर के पास मधुबन विहार कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0- 57603/21 को उसके मधुबन विहार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रणजीत सिंह पुत्र कशमीर सिंह निवासी 6367 गली 12 रविदास मन्दिर के पास मधुबन विहार कालौनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 660 कपिल कुमार सदर बाजार जिला सहारनपुर।

दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक पदार्थ एवं नशा तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त एजाज हसन उर्फ आजाद पुत्र बाबू नि0 ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** (हिस्ट्रीशीटर 56-A) को जंगल ग्राम दुमझेडा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 100 ग्राम नाजायज स्मैक व एक इलेक्ट्रानिक काँटा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0-- 255/2024 धारा- 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। **गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना व बेहट पर पूर्व में दो दर्जन से भी अधिक मुकदमें पंजीकृत है।** अभियुक्त को विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं बाहर से स्मैक सस्ते दामों पर खरीदकर लाता हूँ और यहा लाकर राह चलते लोगो को महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

एजाज हसन उर्फ आजाद पुत्र बाबू नि0 ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 100 ग्राम नाजायज स्मैक
- 01 तौल इलेक्ट्रानिक काँटा

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 157/14 धारा 302/307भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0 मु0अ0सं0 171/14 धारा 392,411भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 115/14 धारा 392/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 316/14 धारा 307 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 317/14 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 181/15 धारा 392/411 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 205/15 धारा 2/3 गैग0 एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 221/15 धारा 392/411भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 224/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 136/17 धारा 379/411 थाना चिलकाना सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 150/17 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 149/17 धारा 307/34 भादवि पु0मु0 थाना चिलकाना सहारनपुर

13. मु0अ0सं0 151/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
14. मु0अ0सं0 458/17 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
15. मु0अ0सं0 40/18 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
16. मु0अ0सं0 234/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
17. मु0अ0सं0 83/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
18. मु0अ0सं0 84/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
19. मु0अ0सं0 197/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
20. मु0अ0सं0 198/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
21. मु0अ0सं0 199/19 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
22. मु0अ0सं0 400/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
23. मु0अ0सं0 305/20 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना चिलकाना स0पुर
24. मु0अ0सं0 234/17 धारा 379 भादवि चालानी थाना चिलकाना स0पुर
25. मु0अ0सं0 181/15 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना चिलकाना स0पुर
26. मु0अ0सं0 466/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
27. मु0अ0सं0 467/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर
28. मु0अ0सं0 132/21 धारा 395/412/120बी भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर
29. मु0अ0सं0 137/21 धारा 307 भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर
30. मु0अ0सं0 255/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 नरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक: 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा 14 वर्षीय गुमशुदा किशोर को मात्र 24 घण्टे मे बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि वादिया श्रीमती पिन्की पत्नी सोनी निवासी चमन माजरा थाना नानौता सहारनपुर द्वारा दिनांक 13.11.2024 की रात्रि मे थाना नानौता उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका लडका देवान्शु उम्र 14 वर्ष जो सुबह घर से अपने चाचा का खाना देने ग्राम कल्लरपुर भट्टे के लिये निकला था नही पहुँचा और ना ही घऱ वापस आया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 267/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदापरिवार से बिछड़े बच्चों को उनके /लावारिस/ परिजनों से मिलाने हेतु चलाये जा रहे के अभियान "आपरेशन मुस्कान" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर गुमशुदा देवान्शु को सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया। जनता के लोगो द्वारा पुलिस के उक्त कृत्य की प्रशंसा की गयी तथा पुलिस का आभार व्यक्ति किया।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सुन्दर थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0का0 729 उपेन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. का0 1459 विकास थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 14.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें में वांछित 01अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि दिनांक 25.11.2023 को वादी हर्ष पुत्र छोटेलाल निवासी ब्रह्मपुरी कालोनी बाबा लालदास रोड थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल लूट कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 362/23 धारा 392 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश-निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में विवेचना में प्रकाश में आए **अभियुक्त वंश पुत्र राकेश निवासी हिमापुर थाना ननौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम देवरा जनपद कैथल हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि में कम पढा लिखा हूँ तथा नशे का आदी हूँ। तथा अपने नशे का शौक पूरा करने के लिए छोटी-मोटी चोरी व लूट कर लेता हूँ आज से लगभग 10 माह पहले अपने एक साथी के साथ बाबालाल दास रोड से एक मौबइल छीना था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वंश पुत्र राकेश निवासी हिमापुर थाना ननौता जनपद सहारनपुर को ग्राम देवरा जनपद कैथल हरियाणा

अभियुक्त आदेश का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 505/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1460 अंकित पँवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2024 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सुचना पर **अभियुक्त अमजद पुत्र सखावत निवासी मोबीन मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 1214/24 , मु0अ0सं0 149/17 धारा 323/504/506/325 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर स0पुर नियत दिनांक 20.11.2024 सम्बन्धित न्यायालय ए0सी0जे0एम0 तृतीय सहारनपुर मे खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अमजद पुत्र सखावत निवासी मोबीन मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः14.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग मे 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 27.10.24 को वादिया द्वारा थाना सदर बाजार पर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादिया को शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करना व गाँली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 627/24 धारा 376/504/506 भा0द0वि0 मे पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **अभियुक्त गोविन्द चौधरी पुत्र राजेश निवासी ननवा खेडी निकट सरकारी स्कूल थाना सरसावा** को कचहरी के समीप अनुपम स्वीट की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गोविन्द चौधरी पुत्र राजेश निवासी ननवा खेडी निकट सरकारी स्कूल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. निरीक्षक श्री राजेन्द्र गिरि थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. का0 1396 सहस कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 2292 ब्रिजेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर

दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मो0सा0, 01 फर्जी नम्बर प्लेट व 01 मो0सा0 के खुले हुए पार्टस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.11.2024 को वादी श्री नजाकत पुत्र फतेह मौ0 निवासी ग्राम हैबतपुर थाना चरथावल जिला मु0नगर द्वारा थाना नानौता उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा ग्राम माधोपुरा से वादी की मोटरसाईकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना नानौता पर मु0अ0स0 264/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त मोटरसाईकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण **1.मिन्टू पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम कान्हाहेडी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फर नगर व 2. सादीन पुत्र यासीन निवासी मौ0 नानू कस्बा जलालाबाद थाना थाना भवन जनपद शामली** को तिलफरा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की गयी 01 मोटरसाईकिल न0 UP14AS9844 (जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP11AQ7258 की फर्जी नम्बर प्लेट लगी थी) व थाना नानौता के मु0अ0सं0 264/2024 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की गयी मोटरसाईकिल सप्लेन्डर के पार्टस बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2),317(5),318(2),336(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सादीन ने पूछताछ करने पर बताया कि मिन्टू मोटरसाईकिल का मिस्त्री है तथा मै कबाडी का काम करता हूँ। मिन्टू मोटरसाईकिल चोरी करके लाता है और हम दोनो चोरी की गयी मोटरसाईकिल को खोलकर उसका सामान अलग अलग कर हिस्से पुर्जे अलग कर ग्राहको की पुरानी मोटरसाईकिलो मे अच्छे पैसे लेकर बदल देते है । बरामद मोटरसाईकिल के हिस्से दिनांक 7.11.2024 को मिंटू द्वारा ग्राम माधोपुर से चुरायी गयी मोटरसाईकिल के है तथा जिस मोटरसाईकिल से हम आज इन सामान को बेचने जा रहे है वह हमने थानाभवन से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मिन्टू पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम कान्हाहेडी थाना चरथावल जनपद मुजफ्फर नगर
2. सादीन पुत्र यासीन निवासी मौ0 नानू कस्बा जलालाबाद थाना थाना भवन जनपद शामली

बरामदगी का विवरणः

- 01 मो0सा0 स्पलेन्डर रजि0न0 UP14 AS 9844
- 01 मो0सा0 स्पलेन्डर रजि0 न0 UP 12 BC 8695 के खुले पार्टस इन्जन आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 निप्पी सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 सुरेन्द्र शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. है0का0 829 सुमित थाना नानौता जनपद सहारनपुर
5. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांकः 14.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 नथ (पीली धातु) बरामद

अवगत कराना है कि आज दिनांक 14.11.2024 को राहुल पुत्र जगपाल नि0- ग्राम चकदेवली थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.प्रवीन पुत्र लीला निवासी ग्राम चकदेवली थाना कोतवाली देहात सहारनपुर व 2.शाबाज पुत्र अब्दुल माजिद निवासी ग्राम नाजरपुरा बेहट रोड थाना कोतावली देहात सहारनपुर के द्वारा वादी के घर में घुसकर घर में एक डिब्बे में रखी 01 सोने की नथ, 01 सोने का कुण्डल,01 सोने की लोंग,01 चांदी का मंगलसुत्र, 01 जोडी चांदी की पाजेब तथा अन्य ज्वैलरी को चोरी किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी, जिसके आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0अ0सं0 466/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतू आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.11.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त शाबाज उर्फ शहवाज पुत्र अब्दुल माजिद निवासी ग्राम नाजिरपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को लग्जरी पैलेस बेहट रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से चोरी की गयी नाक की नथ (पीली धातु) बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शाबाज उर्फ शहवाज पुत्र अब्दुल माजिद निवासी ग्राम नाजिरपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 नथ (पीली धातु)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 377/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना को0देहात सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 224/24 धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना को0नगर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
3. का0 152 गौरब त्यागी, थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।
4. का0 2447 राघव सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 14.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा गौकशी के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा थाना रामपुर मनि0 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 441/24 धारा 3/5/8ए गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 मे वांछित अभि0 **वाजिद उर्फ पेंचू पुत्र बशीर नि0 ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ठेका देशी शराब नानौता रोड कस्बा रामपुर मनिहारन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं व मेरा साथी अलीशान पुत्र शराफत नि0 ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर अपना खर्चा चलाने के लिये 3-4 दिन पहले एक आवारा गाय को पकड़ कर ग्राम चकवाली बाईपास पर एक ईंख के खेत मे लेकर गौकशी करने के लिये आये थे। हमने गाय के मुंह व पैरो को बांध दिया था कि इतने पुलिस आ गयी और मैं पुलिस से बच कर भाग गया था लेकिन मेरे साथी अलीशान को पुलिस ने पकड़ लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वाजिद उर्फ पेंचू पुत्र बशीर नि0 ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. है0का0 807 रविन्द्र कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

दिनांकः 14.11. 2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत भूमाफिया अभियुक्त की चल/अचल सम्पत्ति 01 फ्लैट (अनुमानित कीमत 72 लाख रूपये) की कुर्की की गई।

अवगत कराना है कि दिनाँक 24.11.2023 को वादी श्री सनुज यादव तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी द्वारा थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 275/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम बनाम **राकिब राणा पुत्र अब्बास निवासी ग्राम धानवा थाना तितरो जनपद सहारनपुर** के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा सम्पादित की गयी विवेचना के दौरान अभियुक्त राकिब उपरोक्त द्वारा अपने गिरोह के सदस्यो के साथ मिलकर अपराधिक षडयन्त्र रचकर कागजात व बैनामो की धोखाधडी कर लोगो की जमीन हडप कर अवैध रुप से अनुचित लाभ प्राप्त कर चल व अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी। जिसको उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने हेतू श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर से अनुरोध किया गया, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा अपने आदेश संख्या 39/रीडर/दिनांक 07.10.2024 के द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति को उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14(4) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के आदेश पारित किये गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रुप से अपराधिक कृत्यों व समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त होकर अवैधरूप से अर्जित किये गये धन, चल/अचल सम्पत्ति को कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट प्रयवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में निरीक्षक श्री संजीव कुमार एवं नायब तहसीलदार श्री प्रतीक गुप्ता लोनी गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी गाजियाबाद के पुलिस बल को हमराह लेकर दिनांक 13.11.2024 को **अभियुक्त राकिब राणा पुत्र अब्बास निवासी ग्राम धानवा थाना तितरो जनपद सहारनपुर** द्वारा अपने गिरोह के सदस्यो के साथ मिलकर आपराधिक षडयंन्त्र रचकर कागजात व बैनामो की धोखाधडी कर लोगो की जमीन हडप कर अवैध रुप से अनुचित लाभ प्राप्त कर अवैध रूप से एकत्रित की गयी अचल सम्पत्ति 01 फ्लैट, न0-503 पंचम तल, दिल्ली 99 सोसाईटी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी गाजियाबाद,एफ ब्लाक खसरा न0-2115एम/1, 2049, 2054, 2108, 2116, 2117एम, 2055एम, 2056एम, 2057, 2063, 2114एम, 2109एम, 2110एम और 2107एम, रकबा 99.59 (अनुमानित कीमत 72 लाख रुपये) को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट स0पुर के आदेश के क्रम में कुर्क किया गया.

अभियुक्त का नाम व पताः-

राकिब राणा पुत्र अब्बास नि0- ग्राम धानवा थाना तितरो जनपद सहारनपुर।

कुर्क सम्पत्ति का विवरणः-

- 01 फलैट न0- 503पंचम तल दिल्ली 99 सोसाईटी ग्राम बेहटा हाजीपुर थाना लोनी गाजियाबाद एफ ब्लाक रकबा 99.59 (अनुमानित कीमत 72 लाख रुपये)

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 115/21 धारा 420/406/506 भादवि थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 275/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना जनकपुरी सहारनपुर।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम -

1. नायब तहसीलदार श्री प्रतीक गुप्ता तहसील लोनी गाजियाबाद
2. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. निरीक्षक संजीव कुमार थाना सदर बाजर सहारनपुर
4. उ0नि0 अशोक कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. उप0निरी0 श्री मुकेश गौतम थाना टीला मोड गाजियाबाद
6. लेखपाल किरण गौतम तहसील लोनी गाजियाबाद